



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या-166/2016

- 1- गिरधारीसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम लामिया
- 2- स्वरूप कंवर पुत्र गिरधारीसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।

---अपीलान्वय---

- 1- गोपाल पुत्र दुर्गाराम जाति जाट
- 2- सुनितादेवी धर्मपत्नी प्रबललाल जाति जाट
- 3- सन्तोषदेवी धर्मपत्नी प्रबललाल जाति जाट
- 4- मूलचन्द पुत्र हणमान जाति अहिर
- 5- किशानलाल पुत्र हणमान जाति अहिर
- 6- चिर्मला कंवर पुत्र सत्यमेव जयते जाति राजपूत
- 7- अशोकसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत
- 8- बलबोससिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत
- 9- किशानसिंह पुत्र रिष्णुसिंह जाति राजपूत
- 10- किशानसिंह पुत्र रिष्णुसिंह जाति राजपूत
- 11- विजेन्द्रसिंह पुत्र सुभेरसिंह जाति राजपूत
- 12- मंगलसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत निवासी लामिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी 197/5 वार्ड न0-5 15 गली न0-5 सूर्यनगर हिसार ।
- 13- राजेन्द्रसिंह पुत्र सुखसिंह मृत
- 13/1- अनिता पत्नी स्व0 राजेन्द्रसिंह
- 13/2- मुकेशसिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्रसिंह
- 13/3- गंगा पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह
- 13/4- सोनिया पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह

निवासीगण
ग्राम लामिया
तहसील दांता
रामगढ़ जिला
सीकर ।

जाति राजपूत निवासी लामिया
तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
हाल निवासी 197/5 वार्ड नं0-5
गली नं0-5 सूर्य नगर हिसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



14-गीताकंवर पुत्री सुखसिंह

15-विजयलक्ष्मी पुत्री सुखसिंह

16-भगवतसिंह पुत्र तम्पतसिंह

17-नारायणा पुत्र नानगा

18-पतासी पत्नी झुथाराम

19-श्रवणकुमार पुत्र झुथाराम

20-रामसहाय पुत्र झुथाराम

21-मोतीलाल पुत्र सुवालाल

22-कन्हैयालाल पुत्र सुवालाल

23-भागीरथमलपुत्र सुवालाल

24-मोहन पुत्र बोदू

25-धापू पत्नी बोदू

26-छोटी पत्नी महादेव

27-झावर पुत्र बोदू

28-कुम्भाराम पुत्र महादेव

29-सीताराम पुत्र महादेव

30-रामेश्वरी पत्नी बनवारी

31-सन्तोष पत्नी भागवन्द

32-सागर पुत्र भगता

33-गीतादेवी पत्नी सागरमल

34-संतोषदेवी पत्नी चौधमल

35-सुखीदेवी पत्नी सुवालाल

36- पटवारी ह०का लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

37- उप पंजीयक दांतारामगढ जिला सीकर ।

38- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

जाति राजपूत निवासी ग्राम लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

जाति जाट निवासी ग्राम लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोंडेन्ट्स---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्ली
दिनांक 8-2-2016 एवं अन्तिम
डिक्ली दिनांक 16-8-16 द्वारा
उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ।

उप-प्रमुख अधिकारी एवं
प्रदेय राक्षस अधिकारी

उपस्थिति-

- 1-श्री सोहनलाल चौधरी एडवोकेट- अपीलान्त
- 2-श्री सागरमल एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 29.6.2018



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोंडेन्ट संख्या- 1 से 5 ने अदालत मातहत में दावा बाबत बंटवारा उद्घोषणा व स्थायी ठिसे निषेधाज्ञा का पेशा कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं०-1 से 32 की संयुक्त कब्जे काबत व खातेदारी की आराजी ख०नं० 485 रकबा 1.19 हैक्टर किता-1 रकबा 1.19 हैक्टर, ख०नं०507 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 0.26 हैक्टर, ख०नं० 487 रकबा 3.73 हैक्टर, ख०नं०489 रकबा 1.76 हैक्टर, ख०नं० 490 रकबा 0.82 हैक्टर, ख०नं० 492 रकबा 1.78 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 8.09 हैक्टर, खतरा नं० 491 रकबा 2.15 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 2.15 हैक्टर ख०नं० 493 रकबा 1.07 हैक्टर, ख०नं० 494 रकबा 2.45 हैक्टर, ख०नं० 564 रकबा 3.26 हैक्टर, ख०नं० 565 रकबा 1.90 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 8.68 हैक्टर वाके ग्राम लामिया में स्थित है। उक्त आराजीयात में वादी संख्या-1 का 1/12 वादिया सं०-2 का हिस्ता 17/144, वादिया सं०-3 का 25/144 एवं वादी सं०-4 व 5 का 5/24 हिस्ता जमाबन्दी में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं०-1 से 32 ने अपने हिस्सेनुसार मौके पर आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादीगण की कुल 7.5551 हैक्टर भूमि बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जे एवं काबतगुदा है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज है। मौके पर अपने हिस्सेनुसार सीव नींव कायम कर रखी है किन्तु राजस्व रेकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ जिससे वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर सकता। अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा कर खाता अलग अलग किया जावे। इस पर अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी की। जिससे

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।

अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8-2-2016 ही मुद्दम दृष्टया अवैध होने के कारण निर्णय एवं अन्तिम डिक्री भी अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अदालत मातहत ने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 8-2-2016 निम्न शर्तों के अनुसार प्रस्ताव मांगे गये:-

- 1- यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काब्ज चले आ रहे हैं तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवायें ।
- 2- पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।
- 3- यदि उपरोक्त बिन्दु संख्या- 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारों के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दशाति हुए बटटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवायें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय ने नियत तिथि दिनांक 4-3-2016 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवायें ।

शु-अभिलेख निरीक्षक ने किसी भी अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव से पूर्व कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी बल्कि रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से साजिरा कर कार्यालय में बैठकर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर लिया जिस पर तैयारी की भी कोई तारीख दर्ज नहीं की । अदालत मातहत ने इस तैयारी पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार नहीं थे । इसके बाद भी अदालत मातहत ने अन्तिम डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है । विभाजन प्रस्ताव मौका स्थिति के अनुसार नहीं थे। अपीलान्ट भूमि खतरा नं0489 रकबा 1.76 हैक्टर पर काब्ज कारत चले आ रहे हैं। जबकि विभाजन प्रस्ताव में रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 5 की हिस्सेदारी में दर्जा दी गई । इसके अलावा अपीलान्ट संख्या-2 जो अपीलान्ट संख्या-1 की पत्नी है ने भूमि ख0नं0 493 की में से जमीन खरीदी थी तथा ख0नं0 493 की परिचमी सीमा के सहारे सहारे अपीलान्ट्स के रास्ते के प्रयोजन में काम में आ रही है परन्तु गलत रूप से भूमि





ख0नं0 493 की पश्चिमी दिशा रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 5 के हिस्से में दर्शा दी गई है। अपीलान्ट के हिस्से की भूमियों में आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई। इसके बाद भी अदालत मातहत ने विधि के विपरित अन्तिम डिक्री जारी कर दी। विभाजन प्रस्ताव एवं आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा तथा ना ही राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा बनाये गये नियमों की पालना की है। इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री कानून के विपरित है। अपीलान्ट को अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 5 ने दिनांक 18-10-2016 को अपीलान्ट को यह कथन किया इस आराजी का निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ से हमारे नाम करवा लिया है तथा खाता भी खुलवा लिया। इस पर अपीलान्ट द्वारा जानकारी करके दिनांक 19-10-16 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल का आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 20-10-2016 को प्राप्त हुई। जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर भिषाद पेशा की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने प्रार्थमिक डिक्री ही विधि विरुद्ध पारित की है। गिरदावर ह. का ने विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है वो हमें बिना सूचना दिये कार्यालय में बैठकर रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 5 से साज कर तैयार कर भिजवाये जो मौके के विपरित है। अपीलान्ट के कब्जा का. त की भूमि रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 5 के हिस्से में दिखाई है। इसका मुख्य कारण रहा कि हमें तो मौके के विभाजन प्रस्ताव की कोई सूचना नहीं दी और ना ही मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अपीलान्ट को विभाजन में जो आराजी दी है



पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव कार्यालय में बैठकर मौके पर गये बिना तैयार किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव मौके के विपरित तैयार कर भिजवाये है। खोनो 493 से से अपीलान्ट संख्या-2 जो अपीलान्ट संख्या-1 की पुत्नी है उसने भूमि क्रय की है। वह भूमि भी बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट को नहीं दी गई। खोनो 489 सम्पूर्ण अपीलान्ट गिरधारी के कब्जा कारत में रहा है उसमें 1/2 हिस्सा रेस्पोंडेन्ट गोपाल कौहरा को दे दिया जबकि इस खसरा नम्बर पर सम्पूर्ण पर ही अपीलान्ट का कब्जा कारत रहा है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के बंटवारा नियमों के अनुसार नहीं किया गया। नियमों की अनदेखी कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया है। जिसमें रास्तो सम्बन्धी त्रुटि रखी है। अपीलान्ट के हिस्से में आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं की। इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। अदालत मातहत में प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल चस्पोंदगी पर तामिल मानकर आदेश दिया है। सभी प्रतिवादीगण की तामिल चस्पोंदगी से होना दर्ज है। अर्थात् हमें सुनवाई का किसी भी प्रकार से कोई अवसर नहीं दिया है। इस कारण अपीलान्ट आदेश की जानकारी भी हमें नहीं हुई। दिनांक 18-10-2016 को रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 5 ने अपीलान्ट को विवादित आराजी का फैसला कराने एवं खाते अलग अलग कराने की बात कही जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 19-10-16 को नकल का प्रार्थना पत्र पेशा कर दिया जिस पर नकल 20-10-16 को प्राप्त हुई। जिससे यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें दावे की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट के पास दावे के नोटिस तामिल कुनिन्दा लेकर गया। इन्होंने नोटिस लेने से इन्कार किया है। इन्होंने कभी भी तामिल कुनिन्दा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। दो

15



आदेश पारित किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया इनकी तामिल गलत मानी जाती है तो इन्हे अपील में नहीं आना चाहिये था इन्हे अदालत मातहत में ही आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। अपील में यह उज्र नहीं उठा सकते कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाजन पर सहमति रही है। प्रतिवादीगण का कोई काउण्टर दावा नहीं है। दावे में कुल 33-34 पक्षकार है किसी को भी बंटवारा से ऐतराज नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव जमाबन्दी के हिस्सेनुसार किया गया है। मौके पर कब्जा काबत का पूरा ध्यान रखा गया है। दावा दिनांक 29-12-14 को पेश किया गया जिसका निर्णय 16-8-16 को किया गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अदालत मातहत ने दावा का निर्णय एक-दो पेशी में कर दिया हो। विधिवत सुनवाई करते हुये निर्णय पारित किया गया है। मृतक जतनकंवर के कायम मुकाम की कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। दावा दायरी से पूर्व जतन कंवर की मृत्यु हुई हो इसकी जानकारी नहीं है। जतनकंवर के सम्मन पर मृत्यु की सूचना आने पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है। अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है अपीलान्ट की अपील भिषाद बाहर है खारिज की जावे।


बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की अपील भिषाद बाहर है। दावा बंटवारा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसके कारण दावा का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर किया जाना उचित मानते हैं तथा अपीलान्ट की अपील में हुये विलम्ब को धमा कर अपील को अन्दर भिषाद शुमार किया जाता है। जमाबन्दी सम्मत 2067 से 2070 में ख0नं0 493, 494, 564, 565 कुल किता-4 रकबा 8.68 हैक्टर एवं ख0नं0 485 रकबा 1.19 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 1.19 हैक्टर, ख0नं0 507 रकबा 0.26 हैक्टर कुल किता-1 रकबा 0.26 हैक्टर, ख0नं0 487, 489, 430, 492 कुल किता-4 रकबा 8.09 हैक्टर, ख0नं0 491 रकबा



कब्जा का मत एवं खातेदारी में दर्ज है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भिजवाये गये हैं। अपीलान्ट को उसके हिस्से से आराजी कम नहीं दी गई है। विभाजन प्रस्ताव आने के बाद सहमति के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की गई। अपीलान्ट की ओर से कोई काउण्टर वाद नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि बंटवारा प्रस्ताव पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। दूसरा सवाल यह कि अपीलान्ट का कथन है कि उनकी तामिल पर्याप्त नहीं हुई। अपीलान्ट को तामिल का प्रश्न अपील में नहीं उठाकर अदालत मातहत में आदेश-9 नियम-13 सीपीसी का प्राथमिक पत्र ही पेश करना चाहिये था। रेस्पोंडेन्ट के इस कथन से न्यायालय सहमत है। रेस्पोंडेन्ट संख्या-12 से 14 की ओर से फर्जी हस्ताक्षर कर वकालतनामा पेश करना बताया है किन्तु इस बाबत भी कोई शिकायत रेस्पोंडेन्ट संख्या-12 से 14 द्वारा नहीं की गई है। इस बिन्दु को केवल रेस्पोंडेन्ट संख्या-12 से 14 ही उठा सकते हैं। इस बाबत अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं। तथा अपीलान्ट का यह कथन की जतन कंवर जो मृत थी उसके विरुद्ध दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी जतनकंवर के नोटिस पर मृत्यु की सूचना आने पर कायम मुकाम की कार्यवाही की जाकर ही दावे में निर्णय किया गया। अपीलान्ट का यह कथन भी मानने योग्य नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। अदालत मातहत ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति होने पर ही कोई आपत्ति नहीं आने पर अन्तिम डिक्री जारी की है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 8-2-2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 16-8-2016 यथावत रखा जाता है। अपील सं0-167/16 का निर्णय भी इसी अनुसार है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.6.2018 को सुनाया गया।


शंकरलाल सिंहडा
जिला न्यायाधीश एवं
सुपरीम अधिकारी एवं